उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : पी०बी०एक्स०–2225439, 2222363, 2228461

फैक्स : 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्र संख्याः ५२७ रो/2020–14रो/सा.ग्रा०अनु.बस योजना/2019 दिनांक 03 फरवरी, 2020

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–प्रदेश के असेवित गांवों को बस सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से परिवहन निगम द्वारा जारी "साधारण ग्रामीण अनुबन्धित बस योजना–2019" में संशोधन के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र।

कृपया उपरोक्त विषयक परिपत्र संख्या–115रो/20–14रो/सा.ग्रा.अनु.बस योजना/2029, दिनांक 20 जनवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूचित कठिनाईयों एवं प्राप्त सुझाव के दृष्टिगत निविदा प्रक्रिया में प्रतिभागिता में वृद्धि एवं गांवों को जोड़े जाने के उद्देश्य से कतिपय संशोधन कराते हुये क्षेत्र स्तर पर चिन्हित असेवित गांवों को परिवहन सेवा से सेवित करने हेतु अवशेष मार्गों पर योजना के अन्तर्गत निविदा कार्यवाही पूर्ण करते हुये बसों का अनुबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त विषयक परिपत्र संख्या–115रो/20–14रो/सा.ग्रा.अनु.बस योजना/ 2029, दिनांक 20 जनवरी, 2020 के बिन्दु–3 में निम्नवत् अंकित है:–

"योजना में एक मार्ग पर 03 बार ई–निविदा की कार्यवाही होने के उपरान्त किसी मार्ग विशेष पर निविदा न प्राप्त होने की दशा में उक्त मार्ग हेतु इच्छुक वाहन स्वामी से सीधे प्रस्ताव प्राप्त कर क्षेत्रीय स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।"

उक्त व्यवस्था का निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त न हो पाने के कारण **उल्लिखित परिपत्र का यह अंश निरस्त समझा जाय।**

उक्त क्रम मे पूर्व निर्धारित अनुसार ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा ऐसे ग्रामीण मार्ग जिन पर तीन बार ई–निविदा कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी किसी निवेशक द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। ऐसे मार्गों की सूची निम्न प्रारूप में तीन दिनों में ई–मेल gmo4@upsrtc.com पर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें:–

क्षेत्र का नाम

क्रमांक	मार्ग का नाम	ई–निविदा किये जाने का दिनांक			अभ्युक्ति
		1	2	3	
1	2	3	4	5	6

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)